न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री पुष्पमित्र सिंह देव पुत्र श्री जी. रामचन्द्र, जाति-मीणा, निवासी- खारची, जिला-पाली

बनाम

प्रत्यर्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही
2. स्व. श्री बाबला पुत्र जोधाजी, जाति- भील, निवासी- जैला, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही के उत्तराधिकारी:-

2/1. श्री लीलाराम पुत्र बाबलाजी, जाति- भील, निवासी-जैला, तहसील- सिरोही
2/2. श्री भीमाराम पुत्र बाबलाजी, जाति- भील, निवासी- जैला, तहसील- सिरोही
2/3. सुकी पुत्री बाबलाजी, जाति- भील, निवासी- जैला, तहसील- सिरोही
2/4. सदी पुत्री बाबलाजी, जाति- भील, निवासी- जैला, तहसील- सिरोही
2/5. श्रीमती राउ पत्नि बाबलाजी, जाति- भील, निवासी- जैला, तहसील- सिरोही
2/6. किशन पुत्र स्व. श्री फूसाराम पुत्र स्व. बाबलाजी, जाति- भील, निवासी- जैला, तहसील व जिला- सिरोही
2/7. गुडिया पुत्री स्व. श्री फूसाराम पुत्र स्व. बाबलाजी, जाति- भील, निवासी- जैला, तहसील व जिला- सिरोही
2/8. अतीया पुत्री स्व. श्री फूसाराम पुत्र स्व. बाबलाजी, जाति- भील, निवासी- जैला, तहसील व जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 23/2018

"अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा, प्रत्यर्थी संख्या- 2/1 से 2/5 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 17 फरवरी, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या: 01/2010 में पारित निर्णय दिनांक 21.12.2017 से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या- /21, 2/5 व 2/7 की ओर से पूर्व में अधिवक्ता श्री हरजीराम चौधरी उपस्थित हुये।

.....पेज दो पर

तत्पश्चात् प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या- 2/1 से 2/5 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा उपस्थित। जबकि प्रत्यर्थी संख्या- 2/6 से 2/8 को सम्मन की तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव ग्राम सिरोही के खसरा संख्या 618/1/1, 622/1, 623, 624/1, 707, 761, 763, 764/1, 770/1 कुल किता 9 कुल रकबा 57 बीघा 9 बिस्वा का रेकर्डेड खातेदार कृषक है। इस भूमि के लिये नायब तहसीलदार, सिरोही ने दिनांक 19.6.1996 को धारा 61(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त भूमि को परित्याग करने की घोषणा कर कब्जे सरकार लेने के लिये प्रार्थना पत्र तहसीलदार, सिरोही के न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार, सिरोही के न्यायालय में प्रकरण दर्ज हुआ। तहसीलदार, सिरोही के न्यायालय में श्री बाबला पुत्र जोधाजी, जाति-भील, निवासी- जैला ने उक्त भूमि पर अपना कब्जा बताते हुए उजरदारी प्रस्तुत की थी। तत्पश्चात् बाबला भील ने प्रकरण में न्याय नही मिल पाने के संबंध में जिला कलक्टर, सिरोही को आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण कराने हेतु अनुरोध किया। जिस पर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के न्यायालय में स्थानान्तरण हुआ, उसके बाद तहसीलदार, रेवदर के न्यायालय में स्थानान्तरण हुआ एवं अन्त में प्रकरण सहायक कलक्टर, आबूपर्वत के न्यायालय को स्थानान्तरित किया गया। सहायक कलक्टर न्यायालय, आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 1/96, 44/97, 51/99 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2000 के द्वारा विवादित भूमि को कब्जे सरकार लेने का आदेश दिया गया। जिसकी पालना में उक्त कृषि भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रेकर्ड में बिलानाम दर्ज किया गया। सहायक कलक्टर, आबूपर्वत के उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2000 के विरुद्ध उक्त श्री बाबला भील द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील-प्राधिकारी, सिरोही के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 18.6.2001 को खारिज हुई। तत्पश्चात् उक्त श्री बाबला भील ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही के निर्णय दिनांक 18.6.2001 के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रकरण संख्या:अपील/डिक्री/134/01/सिरोही (4330/01) पर दर्ज होकर बाद सुनवाई पक्षकारान माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.6.2010 के द्वारा सहायक कलक्टर, आबूपर्वत के निर्णय दिनांक 12.12.2000 व भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही के निर्णय दिनांक 18.6.2001 को निरस्त करते हुये वर्तमान अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव व उक्त श्री बाबला को सुनवाई व साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार, सिरोही को प्रतिप्रेषित किया गया। जिस पर तहसीलदार, सिरोही के न्यायालय में पुनः प्रकरण संख्या 01/2010 दर्ज हुआ। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव ने उजरदारी प्रस्तुत कर नायब तहसीलदार, सिरोही के उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 19.6.1996 को खारिज करने का

.....पेज तीन पर

अनुरोध किया। इसके अलावा, अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव की ओर से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 14.6.2010 के अनुसार राजस्व रेकर्ड की पूर्ववर्ती स्थिति बहाल कर राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर कब्जा दिलाये जाने का भी अनुरोध किया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता के आवेदन को दिनांक 04.12.2017 को यह दर्शाते हुए खारिज कर दिया कि यह अधिकार मात्र राजस्व मण्डल, अजमेर में ही निहित है। तहसीलदार, सिरोही द्वारा धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता के आवेदन को खारिज करने का पारित निर्णय विधि विरुद्ध है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में उस न्यायालय के आदेश के प्रभाव के कारण राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन किया गया हो तो उस आदेश के निरस्त होने पर रेकर्ड को पूर्व की स्थिति में लाना अनिवार्य व न्यायसगंत है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही ने राजस्व रेकर्ड की पूर्ववर्ती स्थिति बहाल किये बिना ही प्रकरण में सुनवाई कर दिनांक 21.12.2017 को निर्णय पारित किया है, वह विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव विवादित भूमि का रेकर्डेड खातेदार कृषक है एवं अपीलार्थी पर प्रकरण के नोटिस की तामिली के अभाव में सहायक कलक्टर, आबूपर्वत व राजस्व अपील अधिकारी के निर्णयों को अपास्त करते हुए प्रकरण साक्ष्य लेने व सुनवाई का समुचित अवसर देने के निर्देश के साथ तहसीलदार, सिरोही को प्रतिप्रेषित किये जाने से पूर्व में पारित आदेश व उस आदेश के कारण राजस्व रेकर्ड में किये गये परिवर्तन निष्प्रभावी होकर निरस्त हो जाने से अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव का आवेदन अर्न्तगत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता कानूनन स्वीकार योग्य होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2017 विधि विरुद्ध व निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का यह अभिमत गलत है कि पुर्नस्थापना का आवेदन उसी न्यायालय में पेश होगा जिस अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय निरस्त किया गया हो। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04.12.2017 में यह भी दर्शाया है कि राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपीलार्थी के आवेदन अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. को खारिज किया गया है, जो सही नही है। अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव ने अपने आवेदन में राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपीलार्थी संख्या-2 बनने का अनुरोध किया था जो स्वीकार नही होकर अपीलार्थी को नायब तहसीलदार, सिरोही के आवेदन अनुसार अप्रार्थी के रुप में ही कायम रखा गया अर्थात् प्रकरण में अपीलार्थी पूर्व से पक्षकार था व अपीलार्थी को नयेसर पक्षकार बनने की आवश्यकता नही होने से अपीलार्थी को बतौर अप्रार्थी पक्षकार कायम रखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही को चाहिये था कि प्रकरण में अन्तिम रुप से दिनांक 21.12.2017 को निर्णय पारित करने से पहले माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 14.6.2010 की पालना में राजस्व रेकर्ड की पूर्ववर्ती स्थिति बहाल कर प्रकरण में सुनवाई कर निर्णय पारित करते, लेकिन तहसीलदार, सिरोही ने ऐसा नही किया और राजस्व रेकर्ड की पूर्ववर्ती स्थिति बहाल किये बिना ही प्रकरण

....पेज चार पर

की सुनवाई कर दिनांक 21.12.2017 को निर्णय पारित किया है, जिसके कारण अपीलार्थी के हितो और अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है, जिसके राजस्व अपील संख्या: 02/2018 है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस में यह भी व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही ने नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा धारा 61(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बिना किसी जांच व साक्ष्य के ही नायब तहसीलदार, सिरोही के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सहायक कलक्टर, आबूपर्वत के तहसीलदार की हैसियत से दिये गये निर्णय दिनांक 12.12.2000 को यथावत कायम रखने का निर्णय दिनांक 21.12.2017 को पारित किया है, जो विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही ने अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि विवादित भूमि पर खेती होती रही है, उसके बावजूद भी तहसीलदार, सिरोही ने भूमि के परित्याग के आवश्यक तथ्यों को सक्षम साक्ष्य से सिद्ध कराये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा पारित निर्णय में धारा 61(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवेदन पर ही विचार किया जाना चाहिये था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही ने अपने अधिकार से बाहर जाकर धारा 42(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अनर्तगत प्रस्तुत होने वाले वाद अर्न्तगत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विवाद का निर्णय तहसीलदार, सिरोही ने पारित करने की अनाधिकार चेष्टा की है। धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लिये सहायक कलक्टर ही अधिकृत है, न कि तहसीलदार अधिकृत है। धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत होने वाले वाद में आवेदक तहसीलदार स्वयं ही होता है। इस कारण से तहसीलदार को धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विवाद का निर्णय करने का कानूनन कोई हक अधिकार नही है। इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय दिनांक 04.12.2017 एवं धारा 61(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के आवेदन पर पारित निर्णय दिनांक 21.12.2017 विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.12.2017 को पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत सहायक कलक्टर, सिरोही के न्यायालय में वाद संख्या 36/1984 प्रस्तुत हुआ था, जिसे सहायक कलक्टर, सिरोही द्वारा दिनांक 04.10.1985 को खारिज कर दिया था। इसके बावजूद भी इस प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 को आधार पर मानकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही ने दिनांक 21.12.2017 को निर्णय पारित किया है, वह निरस्त योग्य है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव के पिता श्री जी. रामचन्द्र मीणा, निवासी- खारची, जिला-पाली ने अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव के नाम से उक्त कृषि भूमि को पंजीकृत बेचान

.....पेज पांच पर

दस्तावेज क्रमांक 50 दिनांक 20.3.1967 से श्री वागाराम पुत्र पनजी, कौम-नाई, निवासी- बारसा, तहसील- खारची, जिला- पाली से कीमतन क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। उक्त पंजीकृत बेचान दस्तावेज के अनुसरण में उक्त कृषि राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव के नाम बतौर खातेदार दर्ज हुई। अपीलार्थी के पिता श्री जी. रामचन्द्र मीणा ने दिनांक 19.5.1972 को उक्त कृषि भूमि के संबंध में श्री वागाराम पुत्र पनजी, जाति-नाई, निवासी- बारसा, तहसील- खारची; जिला- पाली के पक्ष में रिलीज डीड निष्पादित कर उक्त कृषि भूमि के हक अधिकार त्याग कर उक्त वागाराम को सुपर्द कर दिये। तत्सयम अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव नाबालिग था। अपीलार्थी नाबालिग होने से अपीलार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि की रिलीज डीड वागाराम के पक्ष में निष्पादित करने का हक अधिकार उनके पिता श्री जी. रामचन्द्र मीणा को नही था। ऐसी स्थिति में, नाबालिग व्यक्ति की कृषि भूमि की उसके पिता द्वारा निष्पादित की गई रिलीज डीड विधि विरुद्ध है तथा इस रिलीज डीड के आधार पर उक्त कृषि भूमि का बेचान श्री बाबला पुत्र जोधाजी, जाति- भील, निवासी- जैला को करने का कोई हक अधिकार वागाराम को प्राप्त नही होता है। विधि अनुसार नाबालिग व्यक्ति की सम्पति का हस्तान्तरण या बेचान नही किया जा सकता है। अत: अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2017 को निरस्त किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2/1 से 2/5 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता को विधि अनुरुप खारिज किया गया है। विवादित भूमि से अपीलार्थी का कोई लेना देना नही है एवं न ही यह भूमि अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि है। विवादित भूमि को प्रत्यर्थी संख्या 2/1 से 2/8 के पिता/पति/दादा श्री बाबला पुत्र जोधाजी, जाति- भील, निवासी- जैला ने पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 28.4.1975 के द्वारा वागाराम पुत्र पनजी, कौम नाई, निवासी- बारसा, तह. खारची, जिला- पाली के मुख्तियारनामा आम उसके पुत्र गोपालराम से कीमतन क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। इस प्रकार, विवादित भूमि प्रत्यर्थी संख्या 2/1 से 2/8 के पिता/पति/दादा श्री बाबला पुत्र जोधाजी, जाति- भील, निवासी- जैला के खातेदारी कब्जे-काश्त की है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा उक्त भूमि के परित्याग की उद्घोषणा जारी होने की जानकारी होने पर प्रत्यर्थी संख्या 2/1 से 2/8 के पिता/पति/दादा श्री बाबला पुत्र जोधाजी, जाति- भील, निवासी- जैला ने तत्सयम ही अपने अधिवक्ता के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय में लिखित उजरदारी मय दस्तावेजों के प्रस्तुत कर उक्त कृषि के परित्याग की उद्घोषणा खारिज करने का अनुरोध किया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही ने उक्त तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.12.2017 को पारित किया है, जो विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 14.6.2010 में प्रदत्त निर्देशों का पालन किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.12.2017 को पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही ने अपीलीय न्यायालय जैसा निर्णय पारित किया है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही ने सहायक कलक्टर, आबूपर्वत के निर्णय की पुष्टि करते हुए सहायक कलक्टर, आबूपर्वत के निर्णय को यथावत कायम

....पेज छः पर

रखा है, जो कानूनन गलत है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही ने अपने निर्णय दिनांक 21.12.2017 में स्वयं की और से कोई निष्कर्ष व टिप्पणी अंकित नही की है। प्रत्यर्थी संख्या 2/1 से 2/5 के अधिवक्ता ने बहस में यह भी व्यक्त किया कि विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत सहायक कलक्टर, सिरोही के न्यायालय में वाद संख्या 36/1984 प्रस्तुत हुआ था, जिसे सहायक कलक्टर, सिरोही द्वारा दिनांक 04.10.1985 को खारिज कर दिया था। इसके बावजूद भी इस प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 को आधार पर मानकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही ने दिनांक 21.12.2017 को निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। अत: अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.12.2017 को निरस्त किया जाकर पुन: सुनवाई हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही को प्रतिप्रेषित किया जावे। विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जांच विधि अनुरुप आदेश पारित किया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे। प्रत्यर्थी संख्या- 2/1 से 2/5 के तर्को के जवाब में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि यदि विवादित भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 2/1 से 2/8 अपना कोई हक अधिकार समझते है तो इस हेतु उन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में चाराजोहि करनी चाहिये।

(4) हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि नायब तहसीलदार, सिरोही ने पत्र क्रमांक/एन.टी./96/513 दिनांक 19.6.1996 के द्वारा तहसीलदार, सिरोही को एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि कस्बा सिरोही में पुष्पमित्र सिंह देव पुत्र श्री जी. रामचन्द्र मीणा, निवासी- खारची, जिला- पाली किता 9 रकबा 57 बीघा 9 बिस्वा के खातेदार दर्ज चले आ रहे है, इन्होनें अपनी सम्पूर्ण आराजी का परित्याग कर दिया है, ये सिरोही में नही रहते है एव ना ही इस आराजी को काश्त करते है, हर वर्ष बदलते हुये लोग इसे काश्त करते है, इस आराजी का लगान भी इन्होनें कभी जमा नही कराया है, ये कही बाहर सरकारी कर्मचारी है, अत: राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के नियम 61(1) के अर्न्तगत परित्याग करने की उदघोषणा जारी कर नियमानुसार भूमि कब्जे सरकार लेने के आदेश जारी करावे। नायब तहसीलदार, सिरोही की उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार, सिरोही के न्यायालय में प्रकरण संख्या 1/96 पंजीयन किया जाकर तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम सिरोही प्रथम के खसरा संख्या 618/1/1, 622/1, 623, 624/1, 760, 761, 763, 764/1 व 770/1 रकबा क्रमश: 4.00 बीघा, 0.14 बीघा, 12.11 बीघा, 0.10 बीघा, 6.10 बीघा, 6.13 बीघा, 16.12 बीघा, 6.14 बीघा व 3.05 बीघा कुल किता 9 रकबा 57 बीघा 09 बिस्वा भूमि के परित्याग की उद्घोषण जारी की गई और उद्घोषणा की प्रति तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड, संबंधित भूमि के मौके पर कांटो की बाड पर एवं पंचायत समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराई गई। साथ ही, उक्त उद्घोषणा का समाचार पत्र "राजस्थान पत्रिका" में दिनांक 28.6.1996 को प्रकाशन करवाया गया। प्रकरण में दिनांक 09.7.1996 को श्री बाबला पुत्र जोधाजी, जाति- भील, निवासी- जैला ने जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ

.....पेज सात पर

न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में एक उजरदारी प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि पुष्पमित्र सिंह देव पुत्र श्री जी. रामचन्द्र मीणा, निवासी- खारची के खातेदारी की नही है, यह भूमि मेरे स्वयं की खरीदशुदा कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है, जो मैनें पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 28.4.1975 के द्वारा वागाराम पुत्र पनजी, कौम-नाई, निवासी- बारसा, तहसील- खारची, जिला- पाली के मुख्तारनामा आम उसके पुत्र गोपालराम से खरिज कर कब्जा प्राप्त किया,. तब से आज दिन तक काबिज काश्त चला आ रहा हूँ, इसलिये परित्याग की घोषणा को खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में उक्त प्रकरण की सुनवाई के दौरान उक्त श्री बाबला पुत्र जोधाजी भील, निवासी- जैला ने जिला कलक्टर, सिरोही को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस प्रकरण को तहसीलदार, सिरोही के न्यायालय से अन्य न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया। जिस पर जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक:प.12(1)(2)कोर्ट/94/635-37 दिनांक 16.9.1996 के द्वारा इस प्रकरण को सुनवाई हेतु तहसीलदार, सिरोही के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के न्यायालय में स्थानान्तरण करने के आदेश दिये गये। जिस पर इस प्रकरण की पत्रावली तहसीलदार, सिरोही द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के न्यायालय को प्रेषित की गई। तत्पश्चात् जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक:प. 12(1)(2)कोर्ट/94/668-71 दिनांक 27.9.1996 के द्वारा इस प्रकरण को सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के न्यायालय से तहसीलदार, रेवदर के न्यायालय में स्थानान्तरण करने के आदेश दिये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा इस प्रकरण की पत्रावली तहसीलदार, रेवदर को प्रेषित की गई। जिस पर तहसीलदार, रेवदर के न्यायालय में प्रकरण पंजीयन किया जाकर संबंधित को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक:प.12(1)(2)कोर्ट/94/668-71 दिनांक 27.9.1996 के विरुद्ध उक्त श्री बाबला भील द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने से राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही द्वारा अपील संख्या 26/96 में पारित निर्णय दिनांक 15.5.97 के द्वारा उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के अधीनस्थ अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य अधिकारी को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक:12(1)(2)कोर्ट/94/830-33 दिनांक 05.6.1997 के द्वारा इस प्रकरण को सुनवाई हेतु तहसीलदार, रेवदर के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये गये। जिसके अनुसरण में इस प्रकरण की पत्रावली तहसीलदार, रेवदर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत के न्यायालय को प्रेषित की गई। जिस पर उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) आबूपर्वत के न्यायालय में प्रकरण पंजीयन हुआ। तत्पश्चात् जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक:12(1)(2)कोर्ट/94/830-33 दिनांक 05.6.1997 के विरुद्ध उक्त श्री बाबला पुत्र जोधा जी, जाति- भील, निवासी- जैला द्वारा निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी/टि.ए./126/97/सिरोही दर्ज हुई। उक्त निगरानी याचिका में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा इस प्रकरण की पत्रावली तलब किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत द्वारा इस प्रकरण की

....पेज आठ पर

पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निगरानी/टि.ए./126/97/सिरोही में पारित निर्णय दिनांक 18.5.1999 के द्वारा निगरानी खारिज की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से इस प्रकरण की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत को भिजवाये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत के न्यायालय में प्रकरण को सुनवाई हेतु पुन: नंबर पर लिया गया। सहायक कलक्टर, आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 1/96, 44/97, 51/99 अर्न्तगत धारा 61, 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिरोही बनाम पुष्पमित्र सिंह देव व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.2.2000 के अनुसार विवादित कृषि भूमि को कब्जे राज लेने के आदेश दिये गये व तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये।

प्रकरण में सहायक कलक्टर, सिरोही द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 12.2.2000 के विरुद्ध उक्त श्री बाबला द्वारा माननीय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही, सिरोही के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। माननीय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही द्वारा अपील संख्या: 57/2000 में पारित निर्णय दिनांक 18.6.2001 के द्वारा अपीलार्थी बाबला की अपील को खारिज (अस्वीकार) किया गया। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.6.2001 के विरुद्ध उक्त श्री बाबला पुत्र जोधाजी, जाति-भील, निवासी- जैला द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर - की खण्ड पीठ द्वारा प्रकरण संख्या:अपील/डिक्री/134/01/सिरोही (4330/01) में पारित निर्णय 14.6.2010 के अनुसार अपील स्वीकार की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकरी, सिरोही का निर्णय दिनांक 18.6.2001 एवं सहायक कलक्टर, आबूपर्वत का निर्णय दिनांक 12.12.2000 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार, सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे प्रकरण में विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर पक्षकारों को सुनवाई का एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर नियमानुसार निर्णय पारित करे।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की खण्ड पीठ द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 14.6.2010 की पालना में तहसीलदार, सिरोही के न्यायालय में पुन: प्रकरण संख्या: 01/2010 पंजीयन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव की ओर से लिखित उजरदारी प्रस्तुत कर नायब तहसीलदार, सिरोही के उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 19.6.1996 को खारिज करने का अनुरोध किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव की ओर से धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत भी एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि सहायक कलक्टर, आबूपर्वत के उक्त निर्णय दिनांक 12.12.2000 के द्वारा विवादित भूमि को कब्जा लेकर नामान्तरकरण संख्या 548 दिनांक 30.12.2000 स्वीकृत कर दिया है एवं सहायक कलक्टर, आबूपर्वत के उक्त

....पेज नौ पर

निर्णय दिनांक 12.12.2000 के विरुद्ध अपील दर अपील होकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा दिनांक 14.6.2010 को निर्णय पारित कर सहायक कलक्टर, आबूपर्वत के निर्णय दिनांक 12.12.2000 को निरस्त कर दिया है, इसलिये माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 14.6.2010 की पालना में राजस्व रेकर्ड में विवादित भूमि की बिलानाम से पूर्ववर्ती स्थिति बहाल की जाकर अपीलार्थी को वापस कब्जा दिलाया जाये।

प्रकरण में अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 04.12.2017 को इस आधार पर खारिज किया गया है कि पुर्नस्थापना का प्रार्थना पत्र उसी न्यायालय में पेश होगा, जिस न्यायालय के निर्णय अथवा डिक्री को अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा इस प्रकरण में बाद सुनवाई अन्तिम निर्णय दिनांक 21.12.2017 को पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पूर्व में महाराज अभयसिंह जी के खातेदारी की थी, जिन्होनें पंजीकृत बेचान दस्तावेज दिनांक 24.10.1966 के द्वारा श्री वागाराम पुत्र पनजी नाई, निवासी- बारसा को विक्रय कर दी। उक्त श्री वागाराम पुत्र पनजी नाई, निवासी- बारसा ने उक्त कृषि भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 20.3.1967 के द्वारा श्री पुष्पमित्रसिंह देव पुत्र श्री जी. रामचन्द्र मीणा, निवासी-खारची को विक्रय कर दी। तत्पश्चात् श्री पुष्पमित्र सिंह देव पुत्र श्री जी.रामचन्द्र मीणा, निवासी- खारची के कुदरती संरक्षक पिता श्री जी. रामचन्द्र मीणा ने पंजीकृत रिलीज डीड दिनांक 19.5.1972 के द्वारा उक्त कृषि भूमि से हक समाप्त करके उक्त भूमि पर पुन: श्री वागाराम पुत्र पनजी, जाति- नाई, निवासी- बारसा के हक मार्फत उनके पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर श्री गोपालराम पुत्र वागाराम के सुपर्द किये गये। तत्पश्चात् श्री वागाराम पुत्र पनजी, जाति- नाई, निवासी- बारसा के मुख्तियारनामा आम श्री गोपालराम पुत्र श्री वागाराम ने उक्त कृषि का बेचान पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.4.1975 के द्वारा श्री बाबला पुत्र जोधाजी, जाति- भील, निवासी- जैला को किया गया है।

चूंकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि श्री पुष्पमित्र सिंह देव जो कि अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति है तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि का गैर अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को उक्त पंजीकृत रिलीज डीड दिनांक 19.5.1972 के द्वारा हस्तान्तरण किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42(बी) के अनुसार अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की कृषि भूमि अन्य किसी वर्ग के व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जा सकती है। उक्त हस्तानान्तरण पूर्णतया अवैध है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42(बी) का स्पष्ट रुप से उल्लंघन है। यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि उक्त रिलीज डीड के आधार पर उक्त कृषि भूमि का श्री वागाराम पुत्र पनजी, जाति- नाई, निवासी- बारसा, तहसील- खारची, जिला- पाली के मुख्तियारनामा

....पेज दस पर

आम श्री गोपालराम पुत्र श्री वागाराम द्वारा दिनांक 28.4.1975 को पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा श्री बाबला पुत्र जोधाजी, जाति- भील, निवासी- जैला को किया गया बेचान भी आरम्भत: शून्य एवं प्रभावहीन है, जिसके आधार पर उक्त श्री बाबला पुत्र जोधाजी, जाति- भील, निवासी- जैला और उसके वारिसान (प्रत्यर्थी संख्या 2/1 से 2/8) को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी श्री पुष्पमित्र सिंह देव के कुदरती संरक्षक पिता श्री जी. रामचन्द्र द्वारा उक्त कृषि भूमि का उक्त रिलीज डीड दिनांक 19.5.1972 के द्वारा हस्तानान्तरण कर दिये जाने से अब उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव का कोई हक अधिकार नही रहा है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए दिनांक 21.12.2017 को निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही ने अपीलाधीन निर्णय में यह स्पष्ट रुप से उल्लेख किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकरण में पक्षकारों द्वारा धारा 60 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का उललंघन किया गया है। पक्षकारों द्वारा लम्बे समय तक विवादित भूमि पर काश्त नही की, न ही किसी को काश्त हेतु अधिकृत किया व नं ही इसकी सूचना भूमिधारी को दी गई। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से भी यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त कृषि भूमि पर अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव का कब्जा-काश्त नही रहा है, इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव द्वारा भूमि का परित्याग कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि तहसीलदार, सिरोही द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 61 के अन्तर्गत उक्त भूमि के परित्याग की उद्घोषणा विधिवत जारी कर प्रकरण में विधि अनुरुप कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.05 17:24:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: